न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या–12, गाजियाबाद।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1293/2026 संगणक पंजियन संख्या 3115/2026

UPGZ010068592026

राजू पहलवान उर्फ राजकुमार पुत्र चम्पाराम, निवासी–ग्राम मुर्तजाबाद भूपखेड़ी, थानाः लोनी, जिलाः गाजियाबाद----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–300/2025
धाराः308(2),140(2),
352,351(4)भा०न्या०सं०
थानाः मसूरी, गाजियाबाद

दिनांकः 08.06.2026

1– यह **प्रथम अग्रिम जमानत** प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजू पहलवान उर्फ राजकुमार की ओर से मु०अ०सं० 300/2025 अन्तर्गत धाराः 308(2), 140(2), 352, 351(4)भा०न्या०सं०, थानाः मसूरी, जिलाः गाजियाबाद के अंतर्गत उपरोक्त अपराध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है तथा इस प्रार्थना पत्र के अलावा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त थानाः मसूरी, जिलाः गाजियाबाद उपरोक्त प्रकरण प्रारम्भ में बलराम पुत्र नामालूम एवं बिना नम्बर सफेद रंग की बुलेरो, काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी पर सवार 8–10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अंकित नहीं था। मात्र विवेचना के दौरान गोपनीय जाँच एवं वादी मुकदमा के कथित मजीद बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त घटना से कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा एवं स्थानीय पुलिस के मध्य साजिश कर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम मुकदमा उपरोक्त में गलत तथ्यों के आधार पर जोड़ा गया है। मुकदमा उपरोक्त में अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी (चश्मदीद) साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया गया है और न ही किसी स्वतंत्र जनसाक्षी को प्रस्तुत किया गया है। कथित घटना दिनांकः 13.07.2025 समय लगभग 03:13 बजे घटित होना दर्शायी गई है, जबकि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकः 16.09.2025 समय 23:53 बजे पंजीकृत करायी गयी, जो कि लगभग दो माह की विलंबित रिपोर्ट है। कथित घटना स्थल एवं थानाः मसूरी के बीच की दूरी मात्र 06 किलोमीटर है। इतनी गंभीर कथित घटना के बावजूद अत्यधिक विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज होना स्वयं अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी राजू पहलवान का नाम कहीं भी अंकित नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल बलराम पुत्र नामालूम एवं 8–10 अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। विवेचना की सीडी संख्या–06 दिनांकः 09.10.2025 में मात्र कथित गोपनीय सूचना के आधार पर पहली बार राजू पहलवान नाम जोड़ा गया, जबकि उस कथित सूचना में यह तक स्पष्ट नहीं था कि प्रार्थी कहाँ का निवासी है उसका पूरा नाम क्या है अथवा उसकी कोई पहचान क्या है। केवल लोनी की तरफ का राजू पहलवान जैसा अस्पष्ट एवं अप्रमाणित उल्लेख किया गया, जो कानूनन किसी व्यक्ति को अपराध से जोड़ने हेतु पर्याप्त नहीं है। विवेचना सीडी संख्या 10 दिनांकः 24.12.2025 में वादी द्वारा अचानक प्रार्थी का नाम जोड़ते हुए कथित भूमिका आरोपित की गयी, जबकि इससे पूर्व किसी भी स्तर पर प्रार्थी का नाम प्रकाश में नहीं था। अभियुक्त के पास किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई, न कोई हथियार, न कोई वाहन, न कोई धनराशि, न कोई सोने के आभूषण बरामद हुए। कथित घटना सार्वजनिक स्थान एवं एक्सप्रेसवे से जुड़ी बतायी गयी है, जहाँ सामान्यतः सी०सी०टी०वी० कैमरे, टोल रिकॉर्ड, लोकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध रहते हैं, किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रार्थी की संलिप्तता सिद्ध हो सके। पुलिस द्वारा प्रार्थी पर ₹25,000/–रूपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सहअभियुक्त बलराम के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के कारण प्रार्थी को अपनी जान एवं सुरक्षा का वास्तविक खतरा है तथा उसे आशंका है कि पुलिस उसे भी फर्जी मुठभेड अथवा अवैधानिक कार्यवाही में फँसा सकती है। विवेचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाए गए समस्त आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं प्रथम दृष्टया ही असत्य प्रतीत होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त सभ्रान्त परिवार से सबंध रखता है, उसके फरार होने अथवा विवेचना में सहयोग ना करने अथवा न्यायालय से अनुपस्थित रहने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है तथा बहस के समय उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त अन्य विधिसम्मत आधार भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को इच्छुक है। उपरोक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया है अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ धोखाधड़ी व अपहरण करके अवैध रूप से धन मांगने का अपराध किया गया है।

अभियुक्त पेशेवर अपराधी तथा उसका काफी लम्बा आपराधिक इतिहास है। अपराध गम्भीर है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

5– अभियोजन कथन इस प्रकार है कि *दिनांकः 16.09.2025 को थानाः मसूरी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी सादाब पुत्र इस्त्कार अली कस्बा व थानाः आहार, जिलाः बुलदशहर का मूल निवासी है। वर्तमान में आकाश नगर फ्लैट नं. 7 राधा कृष्ण एन्क्लेव डासना, थानाः वेवसिटी, गाजियाबाद में किराए पर रहकर एएसट्रासपोर्ट कपनी की फर्म कविनगर, इडस्ट्रियल एरिया में चला रहा हूँ, जिसमे आइस्कोन डिस्ट्रीब्यूटर से सरिया आदि लेकर माल सम्बंधित को ट्रांसपोर्ट कराता हूँ। दिनाकः 09.07.2025 को समय करीब 10:03 बजे सुबह मेरे नंबर 8447252450 पर 8439694887 नंबर से व्हाट्सअप कल आई। मैं रिसिव नहीं कर पाया था। मैंने उस नंबर पर वापस कॉल किया तो रिसीव करने वाले आदमी ने बोला कि मैं बलराम बोल रहा हूँ। मैं अनिल दुजाना का गुरु हूँ तथा पश्चिम यू०पी० का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। अनिल दुजाना का काम मैं ही चलाता हूँ तथा सुन्दर भाटी भी मेरा चेला है। गाली देकर बोला तेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है पच्चीस लाख रूपये पहुंचा दें, नहीं तो तेरे घर को तबाह कर दूंगा। अगर पैसे नहीं पहुंचाये तो तुझे उठवा लूँगा। मैंने समझा की बलराम के नाम से कोई व्यक्ति मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, इसलिये मैंने न तो पैसे पहुंचाये और न ही कहीं पर उसकी शिकायत की थी। फिर दिनांकः 13.07.2025 को मैं पी०एन०बी बैंक डासना अड्डा के पास से परचून की दुकान से सामान खरीद रहा था तो समय करीब 3:13 बजे दोपहर में एक सफेद रंग की बुलेरो व काले रंग की स्कार्पियो एन बिना नंबर प्लेट में 8 से 10 लोग आये तथा मुझे जबरदस्ती खींच कर पिस्तौल व कारबाईन दिखा कर बुलेरो गाड़ी में डालकर पेरीफेरेल पर बागपत की तरफ ले गए तथा उनमे से एक आदमी मेरी सोने की चैन वजन 8 तोला, सोने का लोकेट वजन 2 तोला व सोने का हाथ का ब्रेसलेट वजन 5 तोला छीन कर बुलेरो में से उतर कर चला गया तथा मुझे बुलेरो में से उतारकर पीछे चल रही काले रंग की बिना नंबर प्लेट स्कार्पियो एन में ले गये। स्कार्पियो में बैठे एक छोटे कद के व्यक्ति जिसके सिर के बाल छोटे–छोटे थे, ने मेरे सिर में पिस्तोल का बट मारकर पिस्तौल मेरे सिर पर तान कर गाली देते हुए बोला मैं ही बलराम हूँ, 3–4 दिन पहले तुझे फोन किया था। तेरी समझ में नहीं आई बता अब तुझे मैं गोली मार दू बचना है तो तुरंत 10 लाख रु मंगवा कर दे। मैंने पैसे देने की कह दी तो वो अपने साथियों से बोला की अगर ये पैसे मंगवा कर दे तो इसको छोड़ देना तथा बलराम स्कार्पियो में बैठकर वहां से चला गया तथा उसके साथी मुझे बुलेरो में डाल कर ग्राम दुजाना नोएडा लेकर चले गए, जहां उन्होंने मुझे एक घेर में रखा। जब मैंने रात को करीब 8 बजे 195000/– रु मंगवा कर दे दिए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दिनाकः 12.08.2025 से मेरे न. 6397942040 पर 9927198218 से व्हाट्सअप पर लगातार कॉल तथा वाइस मेसेज आ रहे है जिनमें बलराम गाली–गलौच कर धमकी देता है तथा पचीस लाख रुपये मांग रहा है तथा कहता है पैसे देकर आराम से रहना तुझे कोई दिक्कत नहीं आयगी। साहब बलराम*

पशचिम यूपी का बहुत बड़ा बदमाश है उसकी आसपास के क्षेत्र में दहशत है मुझे अपनी व अपने परिवार की जान माल का खतरा है। मैंने अब तक डर की वजह से शिकायत नहीं की थी। कृपया मेरी व मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा करने की कृपा करें।

6– उभयपक्ष के तर्कों एवं थाना हाजा से प्रस्तुत प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित है कि अभियुक्त राजू पहलवान उर्फ राजकुमार के विरूद्ध डी०सी०आर०बी० के रिपोर्ट के अनुसार मु०अ०सं० 268/2019, धाराः 302, 307 भा०दं०सं०, थानाः कासना, जिलाः गौतमबुद्धनगर, मु०अ०सं० 662/2025, धाराः 110, 131, 324(4), 351(2)भा०न्या०सं०, थानाः बिसरख, जिलाः गौतमबुद्धनगर, मु०अ०सं० 461/2017, धाराः 302, 307, 34, 120 बी भा०दं०सं०, थानाः खोड़ा, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 589/2017, धाराः 2/3 गिरोहबंद अधि०, थानाः खोड़ा, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 268/2025, धाराः 109, 351(2), 352 भा०न्या०सं०, थानाः लोनी, जिलाः गाजियाबाद एवं मु०अ०सं० 516/2017, धाराः 25, 27, 3 आयुध अधि०, थानाः खोड़ा, जिलाः गाजियाबाद अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण से विवेचक द्वारा माल व वाहन की बरामदगी किया जाना शेष है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता विवेचना के दौरान संकलित सी०सी०टी०वी० फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर पाया जाना कहा गया है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अभियुक्त **राजू पहलवान उर्फ राजकुमार** की ओर से मु०अ०सं० 300/2025 अन्तर्गत धाराः 308(2), 140(2), 352, 351(4)भा०न्या०सं०, थानाः मसूरी, जिलाः गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत **प्रथम अग्रिम जमानत** आवेदन सं० 1293/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–08.06.2026

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधि०)/अपर
सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–12, गाजियाबाद।
J.O. Code- UP6480